FORM No. III

फर्द अहकाम

App. A
Crim - I

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड एवं उपजिला मजिस्ट्रेट

बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

अदालत उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा मुकाम बनेड़ा

लक्ष्मण सिंह .... बनाम .... सूरजमल

मुकदमा ...... 111, 128 Cr Pc ...... नं. ...... 837/18 ...... सन् 2018

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
वकील प्रार्थीगण द्वारा ...... प्रा० ...... पत्र अन्तर्गत धारा ...... 111, 128 Cr Pc विरूद्ध विपक्षी ...... पेश किया गया। ...... प्रार्थीगण ...... पत्र बाद जाँच दर्ज रजिस्टर किया जाकर ...... विपक्षीगण ...... की तलबी हेतु पत्रावली दिनांक 18-9-18 ...... को पेश हो।	
18/9/18 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी मय अधि. उपस्थित। विपक्षी सं. 1 व 2 अनुपस्थित। विपक्षी सं. 3 व 4 की तामिल अदम प्राप्त पुनः तलबाना प्रस्तुत करें। पत्रावली वास्ते तलबाना दिनांक 16-10-18 को पेश हो।	
16/10/18 पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित पिठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण/दौरे अवकाश पर होने से/ हैं/अन्य राजकार्य में व्यस्त है/सा. अवकाश पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 20/11/18 को पेश हो। आज्ञा से रीडर	
20-11-18 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.04.13 15:50:24 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम हुक्म की तामील में जारी हुए
13/7/21	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण/दौरे अवकाश में पधारे हैं/अन्य राजकार्य में व्यस्त है/अतः अवकाश पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 28/7/21 को पेश हो। आज्ञा से रीडर	
13/12/21	पत्रावली आज दिनांक 13/12/21 को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प चरण पर प्रस्तुत हुई। प्रकरण मे वादी/प्रतिवादी दोनों पक्ष पत्थरगढ़ी कराने पर अपनी सहमति प्रदान की है. सहमति स्वरूप पत्रावली पर हस्ताक्षर किये गये है अतः पत्रावली आपसी राजीनामे से फैसल की जाती है. निर्णय पृथक से लिखवा जाकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नथ्थी रेकार्ड हो। [signature]	[signature] अ.प्रा.पी-1 ह. लालूराम अप्रा.पी-2

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.04.13 15:50:24 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
प्रशासन गॉवां के संग अभियान मुकाम बरण तहसील बनेड़ा
पीठासीन अधिकारी – श्री अंशुल सिंह (आर.ए.एस.)

...0 – 837/2018

उनवान

1. लक्ष्मणसिंह पिता शंकरसिंह राजपुत नि0 रायसिंहपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
2. नन्दकंवर पत्नि शंकरसिंह राजपुत नि0 रायसिंहपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
3. ललिताकंवर उर्फ ललितकंवर पुत्री शंकरसिंह राजपुत नि0 रायसिंहपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
4. भानुप्रताप , पराक्रमसिंह माता राजुकंवर ना.बा.व.वि. नानी नन्दकंवर पत्नि शंकरसिंह राजपुत नि0 रायसिंहपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

(प्रार्थीगण)

बनाम

1. सूरजमल पिता नाथू गाडरी नि0 रायसिंहपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
2. लाला पिता नाथू गाडरी नि0 रायसिंहपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
3. नरेन्द्रसिंह पिता मानसिंह राजपुत नि0 रायसिंहपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
4. भारतसिंह पिता भंवरसिंह राजपुत नि0 रायसिंहपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

(अप्रार्थी)

<u>प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा0भू0अधिनियम 1956 बाबत पत्थरगढ़ी कराने के।</u>

: : निर्णय : :

दिनांक – 13.12.2021

वादी की ओर से एक प्रार्थ[illegible] 128 रा0भू0राजस्व अधिनियम ...956 के तहत न्यायालय मे दिनांक 08.08.201[illegible] ...त कर निवेदन किया कि ग्राम ...यसिंहपुरा तहसील बनेड़ा की कृषि [illegible] ...ुल किता 05 रकबा 02.14 बीघा [illegible], 1540 , 1541 , 1542 ...ड़ौसी हैं प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के [illegible] भूमि के विपक्षी संख्या 01 से 03 ...बंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे वादी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी ...राना चाहते हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.04.13 15:50:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भील.

प्रस्तुत वादपत्र इस न्यायालय प्रशासन गॉवो के संग केम्प मुकाम बरण मे दिनांक 12.2021 को पंजीबद्ध किया गया। इस प्रकार विपक्षी की ओर से कोई उजरदारी पेश नही व प्रतिवादी द्वारा सहमति व्यक्त की हैं कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के विरूद्ध उनकी ओर कोई आपत्ति नही हैं।

प्रस्तुत वाद के पक्ष पर पक्षकार को सुना गया । प्रस्तुत बहस पर गौर किया गया। त्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य र्निविवादित माणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार एक तेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी कार किया जाता हैं।

: : आदेश : :

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरूद्ध विपक्षी स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम ग्राम रायसिंहपुरा हसील बनेड़ा की कृषि भूमि के आ0न0 1538 , 1539 , 1540 , 1541 , 1542 कुल किता 05 कबा 02.14 बीघा भूमि की पत्थरगढ़ी से पूर्व उभय पक्षकारान को जरिये नोटिस सूचित करा विधिवत तामील करा) बसामलात समस्त पड़ौसान के किये जाने का आदेश पारित किया जाता है । उक्त आदेश की पालना मे तहसीलदार बनेडा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिये जाते है । पत्थरगढी के लिए भू–अभिलेख निरीक्षक को 300/–रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिये जाते है कि पक्षकराना को पूर्व मे सूचित कर उनकी उपस्थिति मे पत्थरगढी की जावे । कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेड़ा को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 13.12.2021 को प्रशासन गॉवो के संग केम्प बरण मे सरे इजलास सुनाया गया।

(अशुल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.04.13 15:50:24 IST
Reason: SelfAttested